20.6.17
7.7.17

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

मुकाम महुवा

बनाम: श्री फूलचंद/रामफूल [illegible] बैरवा

मुकदमा धारा 91 LR Act नं. 56 सन् 17

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17.5.17	सरकारी इन्द्राज की रिपोर्ट पेश करी आदेश हुआ/ कि राज. भू राजस्व अधि. 1956 की धारा 91 का नोटिस जारी कर पत्रावली दिनांक 20.6.17 को पेश हो तहसीलदार महुवा (दौसा) राज.	
2.6.17	पत्रावली आज पेश हुई/ अतिक्रमी उपस्थित आया है/ अतिक्रमी द्वारा प्रा. पत्र पेश किया आज श्रीमान P.O. साहब राजस्व कार्य से दौरे पर पधारे हुए है पत्रा. दिनांक 20.6.17 को पेश हो/	रामफूल बैरवा
20.6.17	पत्रा. आज पेश हुई/ आवाज लगवाई गई/ अतिक्रमी उपस्थित आया है आज श्रीमान P.O. साहब दौरे पर पधारे हुए है/ पत्रा. दिनांक 7.7.17 को पेश हो/	रामफूल बैरवा
7/7/17	पत्रावली पेश हुई आवाज लगवाई गई अतिक्रमी अनुपस्थित है, आज श्रीमान P.O साहब दौरे पर पधारे हुए है, पत्रावली दिनांक 3/8/17 को पेश हो।	

मुकाम ....

बनाम ....

मुकदमा .... नं. .... सन् ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
3/8/17	पत्रावली पेश हुई। आवाज लगवाई गई। अतिक्रमी अनुपस्थित रहा। आज श्रीमान P.O साहब अवकाश है पत्रावली दिनांक 28/8/17 को पेश हो।	
28/8/17	पत्रावली पेश हुई आवाज लगवाई गई अतिक्रमी अनुपस्थित रहा श्रीमान P.O साहब ता० पेशी पधारे हुए है पत्रावली दिनांक 27/9/17 को पेश हो।	
27/9/17	पत्रावली पेश हुई आवाज लगवाई गई अतिक्रमी अनुपस्थित रहा आज P.O साहब मिटिंग मे पधारे हुये है पत्रावली दिनांक 10/10/17 को पेश हो।	
10/10/17	पत्रावली पेश हुई। आवाज लगवाई गई अतिक्रमी अनुपस्थित रहा आज P.O साहब दौसा मिटिंग मे पधारे हुए है अतिक्रमी को पुनः नोटिस जारी कर पत्रावली दिनांक 26/10/17 को पेश हो।	
26/10/17	पत्रावली पेश हुई आवाज लगवाई गई अतिक्रमी उपस्थित आया है अतिक्रमण किया जाना स्वीकार किया गया है अतः ग्राम रामपुर की अतिक्रमित भूमि से अतिक्रमी को बेदखल किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर संलग्न पत्रावली है।	रामफूल बैरवा (पेश)

तहसीलदार
महवा (दौसा) राज

(30)

तहसीलदार महवा जिला दौसा (राज.)

बनाम श्री रामफूल उर्फ फुल्या

पुत्र नन्दराम बैरवा

किस्म मुकदमा अन्तर्गत धारा 91 एल. आर. एक्ट

दिनांक 26/10/2017

निर्णय

पत्रावली पेश हुई । प्रकरण वृतान्त अनुसार पटवारी हल्का द्वारा एक रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 91 LR Act इस का पेश की गई कि अतिक्रमी श्री रामफूल – फुल्या पुत्र श्री नन्दराम जाति बैरवा निवासी रामगढ़ तहसील महवा ने संवत 2074 फसल रवि / ~~खरीफ~~ मे ग्राम रामगढ़ की राजकीय आराजी खसरा नं. 248/1 रकबा 02 किस्म मरघट भूमि से 02 रकबा पर अनाधिकृत रूप से जोत कब्जा कर अतिचार कर लिया है।

रिपोर्ट प्रकरण दर्ज किया जाकर अतिक्रमी को राज.भू.-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया । नोटिस प्रति बाद तामिल शामिल पत्रावली है।

अतिक्रमी हाजिर हुआ । अतिक्रमण किया जाना स्वीकार किया । अतिक्रमी की ओर से अतिक्रमण करने का कोई ठोस जवाब पेश नहीं किया गया । अतिक्रमी द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया जाना प्रमाणित है। जो राज.भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दण्डनीय है।

अतः अतिक्रमी को नाजायज रूप से अतिक्रमण करने पर अतिचारित रकबा से बेदखल किया जाना है व भूमि के वार्षिक लगान रूपये 0.74 का 50 गुना 37 रू. राशि की शास्ति आरोपित कर दण्डित किया जाता है।

पटवारी व टी.आर.ए. को मांग कायमी एंव वसुली हेतु पटवारी हल्का व भू-अभिलेख निरीक्षक को बेदखली हेतु लिखा जावे । पत्रावली फैसल शुमार का जाकर नम्बर से कम हो। बाद तामिल व तकमील लेख भण्डार हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

तहसीलदार
महवा (दौसा) राज

रजिस्टर म/ध के पेज नं0 ..15....... पर
वर्ष 2017-18 ...... में .... नीलामी
की राशि .... रुपये ...3727...
की जमा कायमी की गई